

सं. 44 अ: निवासी व्यक्तियों के लिए विप्रेषण की उदारीकृत  
योजना के अंतर्गत बाह्य विप्रेषण

(मिलि. अम. डॉलर)

प्रयोजन	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1. जमाराशि	9.1	23.2	19.7	24.0	30.4	37.4
2. अचल संपत्ति की खरीद	0.5	1.9	8.5	39.5	55.9	47.6
3. इक्विटी / ऋण में निवेश	—	—	20.7	144.7	151.4	206.5
4. उपहार	—	—	7.4	70.3	133.0	159.9
5. दान	—	—	0.1	1.6	1.4	5.3
6. यात्रा	—	—	—	—	—	17.4
7. निकटतम रिश्तेदारों का निर्वाह	—	—	—	—	—	170.9
8. शारीरिक चिकित्सा	—	—	—	—	—	18.3
9. विदेश में अध्ययन	—	—	—	—	—	217.8
10. अन्य**	—	—	16.4	160.4	436.0	101.8
<b>कुल ( 1 से 10)</b>	<b>9.6</b>	<b>25.0</b>	<b>72.8</b>	<b>440.5</b>	<b>808.1</b>	<b>983.0</b>

(मिलि. अम. डॉलर)

प्रयोजन	2009-10											
	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. जमाराशि	2.3	2.8	3.2	1.9	1.7	3.0	2.7	2.0	3.6	1.9	3.3	9.0
2. अचल संपत्ति की खरीद	4.2	3.8	3.4	2.5	4.7	3.7	2.9	2.9	3.6	3.2	2.1	10.6
3. इक्विटी / ऋण में निवेश	12.6	12.2	14.8	10.7	15.4	12.6	20.2	12.8	16.6	10.4	16.0	52.2
4. उपहार	13.6	11.7	13.7	13.0	11.2	11.5	12.6	11.7	12.3	11.9	14.7	22.0
5. दान	0.1	0.2	0.6	0.1	0.2	0.4	2.3	0.2	0.1	0.6	0.2	0.3
6. यात्रा	1.4	1.5	1.1	2.5	1.2	2.3	1.8	1.8	0.6	0.8	0.8	1.6
7. निकटतम रिश्तेदारों का निर्वाह	10.5	10.0	8.8	9.7	13.3	10.8	19.5	16.5	17.6	15.9	13.4	24.9
8. शारीरिक चिकित्सा	1.3	2.3	2.4	2.3	1.6	1.9	1.6	1.4	1.0	0.9	0.7	0.9
9. विदेश में अध्ययन	6.1	6.8	89.3	12.7	21.0	18.5	7.7	11.0	10.6	13.9	11.2	9.0
10. अन्य**	6.0	6.4	7.6	9.5	8.5	7.5	6.2	5.5	6.7	10.2	8.5	19.2
<b>कुल ( 1 से 10)</b>	<b>58.1</b>	<b>57.7</b>	<b>145.0</b>	<b>64.9</b>	<b>78.8</b>	<b>72.2</b>	<b>77.5</b>	<b>65.8</b>	<b>72.7</b>	<b>69.7</b>	<b>70.9</b>	<b>149.7</b>

(मिलि. अम. डॉलर)

प्रयोजन	2010-11	
	अप्रैल	मई
1	2	3
1. जमाराशि	3.6	2.5
2. अचल संपत्ति की खरीद	7.5	5.8
3. इक्विटी / ऋण में निवेश	22.2	21.6
4. उपहार	24.5	16.6
5. दान	0.5	0.1
6. यात्रा	1.6	1.5
7. निकटतम रिश्तेदारों का निर्वाह	61.1	19.7
8. शारीरिक चिकित्सा	0.8	0.6
9. विदेश में अध्ययन	7.7	9.6
10. अन्य**	11.7	12.2
<b>कुल ( 1 से 10)</b>	<b>141.2</b>	<b>90.2</b>

— : उपलब्ध नहीं।

\*\* : इसमें जर्नल के संबंध में किए गए अभिदान, विदेश में किए गए निवेश का रखरखाव, छात्र ऋण की पुनः अदायगी, क्रेडिट कार्ड भुगतान इत्यादि जैसी मदें शामिल हैं (2008-09 तक शिक्षा, यात्रा, नजदीकी सगे संबंधियों का निर्वाह और चिकित्सीय उपचार भी शामिल हैं)।

टिप्पणी : (i) 2004 से 2007 के आंकड़े कैलेंडर आधार पर हैं।

(ii) वर्तमान में उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत निवासियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में किसी भी महीने चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन में 26 सितंबर 2007 से 2,00,000 अमरीकी डॉलर तक विप्रेषण की अनुमति है। एलआरएस योजना का प्रारंभ फरवरी 2004 में किया गया। इसका उद्देश्य निवासी व्यक्ति को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 25,000 अमरीकी डॉलर तक का विप्रेषण आसानी से करने में सुविधा प्रदान करना था। इस सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2006 में प्रति वित्तीय वर्ष 50,000 अमरीकी डॉलर, मई 2007 में प्रति वित्तीय वर्ष 1,00,000 अमरीकी डॉलर तथा सितंबर 2007 में 2,00,000 अमरीकी डॉलर कर दिया गया।